

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र०राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
गोमतीनगर, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ०प्र०राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या-1020/प्रशि0/रा0आ0प्र0प्रा0/पी0सी0टी0/2022-23, दिनांक 24 फरवरी, 2023 के प्रस्ताव में उल्लिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ०प्र०राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु "कैपेसिटी बिल्डिंग मद" से धनराशि रु० 122.70 लाख आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये जाने में मितव्यता का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) प्रश्नगत कार्यक्रम/प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु स्वयं किसी विशेषज्ञ संस्था का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ई-टेन्डरिंग के माध्यम से चयन किया जाये।
- (8) प्रशिक्षण निर्धारित माइयूल के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और प्रशिक्षण की उपयोगिता का फीड बैक लेते हुए शासन को अवगत भी कराया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,22,70,000/- (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक 2245058000610 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिंह)
सचिव।

संख्या- 305(1)/एक-10-2023, दिनांक मई, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, 30प्र0।
- 4- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024

आवंटन दिनांक-12/05/2023

प्रेषण संख्या:-

664

आवंटन आदेश संख्या:-

001-664

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत (आयोजन-मत्तद)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रागामी	12270000 12270000	12270000 12270000
	योग	वर्तमान प्रागामी	12270000 12270000	12270000 12270000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रागामी आवंटन):-

रूपया एक करोड़ बाइस लाख सत्तर हजार

रूपया एक करोड़ बाइस लाख सत्तर हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

